न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 59/2019 राजस्व अपील

1. रामस्वरूप पुत्र श्री सोल्या जाति मीना निवासी ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 17.9.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप प्रकरण संख्या 106/2019 अ. धारा 91 एल आर एक्ट

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 06.11.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट नें सम्वत 2076 में ग्राम श्रीया में स्थित भूमि खसरा नं. 64 रकबा 3.00 बीघा किस्म चरागाह पर मूंगफली व ग्वार की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना दिनांक 17.09.2019 को निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया तथा लगान कायम कर दिया। अधीन्स्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त निर्णय दिनांक 17.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्ट की असालतन तामीन हुई है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलान्ट की अनुपस्थिति में झूंठी मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को बिना

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वजह परेशान किया गया तथा अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है तथा बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 64 रकबा 3 बीघा पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं किसी भी चरागाह भूमि पर वर्तमान में कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2019 में से तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2076 में ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि खसरा नं0. 64 रकबा 3 बीघा किस्म चरागाह पर मूंगफली व ग्वार की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 17.09.2019 को बेदखल करने, लगान कायम करने एवं तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट के जरिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 64 रकबा 3 बीघा पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं किसी भी चरागाह भूमि पर वर्तमान में कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.09.2019 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा